नवम माला, खंड 14, अंक 1

गुरुवार, 21 फरवरी, 1991
2 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 24-7-91

(खंड 14 में अंक 1 से 11 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 1, गुरुवार, 2, फरवरी, 1991/2 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	...	1-2
राष्ट्रपति का अभिभाषण	...	2-12
सभा पटल पर रखा गया		
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	12-15
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	15-16

नौवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अकबर, श्री एम. जे. (किशनगंज)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री जे. पी. (चांदनी चौक)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अतिन्दर पाल सिंघ, स. (पटियाला)

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर.
(तिरुचेन्दूर)

अन्तुले, श्री ए. आर. (कोलाबा)

अन्बारासु, इरा, श्री (मद्रास मध्य)

अमात, श्री डी. (सुन्दरगढ़)

अम्बरी, श्री लेइता (अरुणाचल पूर्व)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)

अर्गल, श्री छविराम (मुरैना)

अली, श्रीमती सुभाषिनी (कानपुर)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पेरम्बलूर)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहेर, डा. दौलतराव सोनूजी (नासिक)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (नई दिल्ली)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के. पी. (बडागरा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एन्टनी, श्री पी. ए. (त्रिचुर)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगिरि)

औवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
(हैदराबाद)

क

कटारिया, श्री गुलाब चन्द (उदयपुर)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमान्डर, श्री मोहम्मद हसन (लद्दाख)

करेद्दुला, कुमारी कमलाजी (भद्राचलम)

कांबले श्री अरविन्द तुलसीराम
(उस्मानाबाद)

कापसे, प्रो. राम गणेश (ठाणे)

काबडे, डा. वेंकटेश (नान्देड़)

कामसन, प्रो. मिजनलंग (बाह्य
मणिपुर)

कालका दास, श्री (करोलबाग)

कालवी, श्री कल्याण सिंह (बाड़मेर)

कालीमुथु, डा. के. (शिवकाशी)

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी (बुलढाना)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुन्डू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के. (कोयम्बूटर)
कुमारमंगलम, श्री पी. आर. (सलेम)
कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह (गाजीपुर)
कृपाल सिंह, श्री (अमृतसर)
कृष्ण, श्री जी. (इलुरू)
कृष्ण, कुमार, श्री एस. (त्रिवलोन)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कोंताला, श्री राम कृष्ण (अनकापल्ली)
कोटडीया, श्री मनुभाई (अमरेली)
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश (अडूर)
कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (दुर्ग)

ख

खण्डेलवाल, श्री प्यारेलाल (राजगढ़)
खटीक, श्री शंकर लाल (सागर)
खनोरिया, श्री डी. डी. (कांगड़ा)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खां, हाजी जी. एम. (मुरादाबाद)
खान, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खालसा, श्रीमती विमल कौर (रोपड़)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गंगाधर, श्री एस. (हिन्दूपुर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी. एन. (पुणे)
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुदाल (चित्रदुर्ग)
गुजराल श्री इन्द्रकुमार (जालन्धर)
गुडादिन्नी, श्री बी. के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह (राजनंदगांव)
गोखले, श्री विद्याधर (मुम्बई उत्तर मध्य)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गौंडर, श्री ए. एस. (पलानी)
गौड़ा, श्री डी. एम. पुट्टे (चिकमगलूर)

च

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम. (श्री पेरुम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी. (शिमोगा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)

चांद राम, श्री (हरदोई)
चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई (पाटण)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)
चेन्नीथाला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री दसई (रोसेड़ा)
चौधरी, श्री राम प्रसाद (खलीलाबाद)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौहान, श्री प्रभातसिंह (कैरा)

ज

जग पाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम. आर. (तिरुनेलवेली)
जमुना, श्रीमती जे. (राजामुन्द्री)
जय प्रकाश, श्री (हिसार)
जयमोहन, श्री ए. (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (जोधपुर)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाटव, श्री पान सिंह (बयाना)
जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जावाली, डा. बासवराज (गुलबर्गा)
जोवरत्नम, श्री आर. (आर्कोनम)
जू देव, श्री दलीप सिंह (जांजगीर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोरावर राम, श्री (पलामांड)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी. जे. (दमण और दीव)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना, नायक (रायचूर)

ढ

ढाकणे, श्री बबनराव (बीड)

त

तम्बि दुरै, डा. (करूर)

तस्लीमुद्दीन श्री (पूर्णिया)
तारवाला श्री अमृतलाल वल्लभदास (खंडवा)
तारीफ सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
तिवारी, श्री जनार्दन (सीवन)
तिवारी, श्री वृज भूषण (डुमरियागंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुर द्वार)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
त्यागी, श्री के. सी. (हापुड़)

थ

थापा, श्री नन्दू (सिक्किम)
थामस, प्रो. के. वी. (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी. सी. (मुक्तुपूजा)
थुंगन, श्री पी. के. (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री एस. बी. (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो. मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दानवे, श्री पुंडलीक हरि (जालना)
दास श्री अनादिचरण (जाजपुर)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहाण्डी)
दासगुप्त, डा. बिप्लव (कलकत्ता दक्षिण)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री नरसिंहराव (भिण्ड)
देब बर्मन, श्री के. बी. के. (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देवी लाल, श्री (सीकर)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय (अमरावती)

ध

धनखड़, चौ. जगदीप (झुन्झुनू)
धवन, श्री हरमोहन (चण्डीगढ़)
धूमाल, प्रो. प्रेम कुमार (हमीरपुर)

न

नन्दी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नाईक, श्री जी. देवराय (कनारा)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नायक, श्री नकुल (फूलबनी)
नायकर, श्री डी. के. (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के. आर. (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी. जी. (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, गोविन्दराव (रत्नगिरि)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेगी, श्री सी. एम. (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (बिल्हौर)

प

पंडियन, श्री डी. (मद्रास उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल सिंह (कैराना)
पचेरवाल, श्री गोपाल (टोंक)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा. ए. के. (मेहसाना)
पटेल, श्री अर्जुन भाई (वलसाड़)
पटेल श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री नटुभाई एम. (आनन्द)
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी)
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई (साबरकंठा)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास (गोधरा)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
परास्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)
पलनीसामी, श्री के. सी. (तिरुचेन्गोडे)
पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडे, श्री राजमंगल (देवरिया)
पाठिल, श्री उत्तमराव (अकलुज)
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव (इरन्दोल)
पाटिल, श्री एस. टी. (बागलकोट)
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटिल, श्री बाबासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री वासुदेवराव (कोप्पल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (रायचूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणि, श्री रवि नारायण (देवगढ़)
पाण्डेय, प्रो. यदुनाथ (हजारीबाग)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मन्दसोर)
पाल, श्री एम. एस. (नैनीताल)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलेप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारीलाल (नागपुर)
पेरुमाल, डा. पी. वेल्लल (चिदम्बरम)
पैंचालैया, श्री पी. (नेल्लोर)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के. (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर. (नीलगिरी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री आर. एस. (नालन्दा)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, प्रदीप, श्री (नवादा)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफरपुर)

फर्नान्डीज, श्री जौस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
फुंडकर, श्री माऊसाहेब पुंडलीक (अकोला)
फैलोरी, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंगाली सिंह, डा. (हाथरस)
बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल. (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी. (चिरायिकिल)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बागा रेड्डी, श्री एम. (मेंडक)
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव (खेड)
बाल गौड, श्री टी. (निजामाबाद)
बाला, डा. असीम (नवद्वीप)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराज, श्री जी. एस. (टुमकुर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर (लुधियाना)
बेंजामिन, श्री एस. (बपतला)
बेग, श्री आरिफ (बेतूल)
बेग, श्री युसुफ (मिर्जापुर)
बेगा राम, श्री (गंगानगर)
बेहेरा, श्री भजमन (ढेंकानाल)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बोपचे, डा. खुशाल परसराम (भन्डारा)
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको (बड़ौदा)
ब्रह्म दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच. के. एल. (पूर्व दिल्ली)
भजन लाल, श्री (फरीदाबाद)
भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भागेय गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)
भाटिया, श्री राम सेवक (जालौन)
भारतीय, श्री सन्तोष (फर्रूखाबाद)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव (सतारा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंड, भाई ध्यान सिंह (फिरोजपुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मक्कासर, श्री शोपत सिंह (बीकानेर)
मणवर, श्री बलवन्त (पोरबन्दर)

मनेम्मा, श्रीमती टी. (सिकन्दराबाद)
मक्टोष, श्री पाल आर. (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी. (शिलांग)
मरांडी, श्री साइमन (राजमहल)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री मंगाराज (भद्रक)
मलिक, श्री सत्यपाल (अलीगढ़)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दिल्ली सदर)
मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्री वाई. एस. (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाडीक, श्री वामनराव (मुम्बई दक्षिण मध्य)
महाता, श्री चित (पुरुलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महेश्वर सिंह, श्री (मंडी)
माडे गौडा, श्री जी. (माण्डया)
माने श्री आर. एस. (इचलकरांजी)
मायकर, श्री गोपालराव (पणजी)
मायावती, कुमारी (बिजनौर)
मारक, श्री सनफोर्ड (तुरा)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री बालगोपाल (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राज मंगल (गोपालगंज)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर)
मीणा, श्री नन्दलाल (सलुम्बर)
मुंजारे, श्री कंकर (बालाघाट)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुजाहिद, श्री बी. एम. (धारवाड़ दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुथिया, श्री आर. (पेरियाकुलम)
मुन्नन खां, श्री (बलरामपुर)
मुरलीधरण, श्री के. (कालीकट)
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्र शेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)
मेघवाल, श्री कैलाश (जालौर)
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र (मुम्बई उत्तर पूर्व)
मैथ्यू, श्री पलाई के. एम. (इदुक्की)
मोहम्मद शफी, श्री (श्री नगर)

य

याजदानी, डा. गुलाम (रायगंज)
यादव, डा. एस. पी. (सम्भल)
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री जनार्दन (गोंडा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (फर्रुखाबाद)
यादव, श्रीबालेश्वर (पंदरौना)
यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि (मैनपुरी)
यादव, श्री राम कृष्ण (आजमगढ़)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री शरद (बदायूं)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सिहरसा)
यादव, श्री हुकमदेव नारायण (सीतामढ़ी)
यादवेन्द्र दत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रंगा, प्रो. एन. जी. (गुंटूर)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
राउतराय, श्री नीलमणि (पुरी)
राकेश, श्री आर. एन. (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राजदेव सिंह, श्री (संगरूर)
राजवीर सिंह, श्री (आंवला)
राजू, श्रीमती उमा गजपति (विशाखापट्टनम)
राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाडा)
राजू, श्री एस. विजय राम (पार्वतीपुरम)
राजू, श्री यू. विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेश्वरन, डा. वी. (राजनांदगांव)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
रावत, श्री एन. जे. (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राठौर, डा. भगवान दास (खुर्जा)
राणा, श्री कांशीराम छबीलदास (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम बाबू, श्री ए. जी. एस. (मदुरै)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामकृष्ण, श्री वाई. (कोलार)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदास, डा. आर. (टिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री के (कृष्णगिरि)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (आरा)
राय, श्री ए. के. (धनबाद)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री लालबाबू (छपरा)
राय, डा. सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हरधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री आर. गुंडू (बंगलौर दक्षिण)
राव, श्री के. एस. (मछलीपटनम)
राव, श्री के. राम मोहन (बोब्बिली)
राव, श्री जे. चौका (करीमनगर)
राव, श्री जे. वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी. कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)
राव, श्री श्रीनिवास (नालगोंडा)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. जी. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी. नरसा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी. एन. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बोबा वेंकट (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री राजमोहन (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई. एस. राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लाखा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लोधी, श्री गंगा चरण (हमीरपुर)

व

वघेला, श्री शंकर सिंह (गांधी नगर)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खीरी)
वर्मा, श्री एस. सी. (भोपाल)
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद (बेतिया)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बी. राजरवि (पोल्लाची)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवशरण (मछलीशहर)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
विजयराघवन, श्री ए. (पालघाट)
विश्वनाथम, डा. (श्री काकुलम)
वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेड्डापल्ली)
वेंकटेशन, श्री पी. आर. एस. (कुड्डालोर)
वेकारिया, श्री एस. एन. (राजकोट)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिक्कोडी)
शकीलुर्रहमान, डा. (दरभंगा)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री धर्म पाल (उधमपुर)
शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शास्त्री, श्री अनिल (वाराणसी)
शास्त्री, श्री कपिल देव (सोनीपत)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई (बनासकांठा)

शाह, श्री बाबूभाई मेघजी (कच्छ)
शिंगडा, श्री डी. बी. (दहानू)
शिवनकर, प्रो. महादेव (चिमूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजोभाई (जूनागढ़)
शेखर, श्री एम. जी. (धर्मपुरी)
श्रीकान्तय्या, श्री एच. सी. (हसन)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिन्डिगुल)
श्रीवास्तव, डा. शैलेन्द्रनाथ (पटना)

ष

षण्मुख, श्री पी. (पांडिचेरी)

स

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीव)
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (मुजफ्फरनगर)
समद, श्री अब्दुल (वेल्लोर)
सरताज सिंह, श्री (होशंगाबाद)
सरवर हुसैन, श्री (बुलन्दशहर)
सरोज, श्री सरजू प्रसाद (मोहनलाल गंज)
सहाय, श्री सुबोध कान्त (रांची)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या (शोलापुर)
सान्याल, श्री माणिक (जलपैगुड़ी)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
साय, श्री ए. लरंग (सरगुजा)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
सारण, श्री दौलत राम (चुरू)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या (तेनाली)
सिंगरावडीवेल, श्री एस. (तंजावूर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे (गुना)
सिंह, श्री अजय (आगरा)
सिंह, श्री आनन्द (गोंडा)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्रीमती उषा (वैशाली)
सिंह, प्रो. एन. तोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री ललित विजय (बेगूसराय)
सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)
सिंह, श्री तेज नारायण (बक्सर)
सिंह, श्री धनराज (मुंगेर)
सिंह, श्री धर्मराज (शाहाबाद)
सिंह, श्री के. मानवेन्द्र (मथुरा)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मानधाता (लखनऊ)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, श्री रामदास (गिरिडीह)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लोकेन्द्र (दमोह)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री सुखेन्द्र (सतना)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हर गोविन्द (अमरोहा)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री ए. एन. (आस्का)
सिदनाल, श्री एस. बी. (बेलगाम)
सिलवेरा, डा. सी. (मिजोरम)
सुंदरराज, श्री एन. (पुडुकोट्टाई)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुच्चा सिंह, बाबा (भटिंडा)
सुशील दल, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंह भूम)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहार)
सुल्तानपुरी, श्री के. डी. (शिमला)
सूबेदार, श्री (राबर्ट्सगंज)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेमा, श्री शिकिहो (नागालैंड)
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर (चेंगलपट्टु)
सेल्वारासु, श्री एम. (नागापट्टिनम)
सोज, प्रो. सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढ़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलुबेरिया)
हरीश पाल, श्री (मेरठ)
हर्षवर्धन, श्री (महाजाजगंज)
हान्डू, श्री प्यारेलाल (अनन्तनाग)
हीरा भाई, श्री (बांसवाडा)
हेत राम, श्री (सिरसा)
होटा, श्री भवानी शंकर (सम्बलपुर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री रवि राय

उपाध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

सभापति तालिका

डा. तम्बि दुरै

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री जसवंत सिंह

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी

महासचिव

श्री के. सी. रस्तोगी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमन्त्री तथा रक्षा; गृह; विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; परमाणु ऊर्जा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; महासागर विकास; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; इलेक्ट्रानिकी; अंतरिक्ष; सूचना और प्रसारण; उद्योग; श्रम; कल्याण; योजना; कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों/ विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री चन्द्रशेखर
उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री	श्री देवी लाल
वित्त मन्त्री	श्री यशवन्त सिन्हा
वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री	श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
ऊर्जा मंत्री	श्री कल्याण सिंह कालवी
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री सत्यप्रकाश मालवीय
इस्पात और खान मंत्री	श्री अशोक कुमार सेन
शहरी विकास मंत्री	श्री दौलत राम सारण
वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	श्री हुकमदेव नारायण यादव
रेल मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री मनुभाई कोटड़िया
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री राजमंगल पांडे
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	राव बीरेन्द्र सिंह

राज्य मंत्री

(स्वतन्त्र प्रभार)

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री	श्री हरमोहन धवन
पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती मेनका गांधी
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	डा. संजय सिंह

राज्य मंत्री

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बबनराव ढाकणे
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भक्त चरण दास
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री जयंतीलाल वोरचन्दभाई शाह
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	श्री कमल मोरारका
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ललित विजय सिंह
कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग मे राज्य मंत्री	श्री राम बहादुर सिंह
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामजी लाल सुमन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुबोधकान्त सहाय
पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती ऊषा सिंह

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री	श्री दलई चौधरी
वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री	श्री दिग्विजय सिंह
पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री	श्री जय प्रकाश
वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल

लोक सभा

गुरुवार 21 फरवरी, 1991/2 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 12.50 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तुर्की के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री काया एरडम तथा श्रीमती सेविल एरडम और तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुए हैं का स्वागत करने में बहुत हर्ष हो रहा है।

शिष्टमंडल के अन्य मानदीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री यासिन बोजकुर्त, संसद सदस्य
2. डा. वेफा तनोर, संसद सदस्य
3. श्री इरतुगरूल ओजडेमिर, संसद सदस्य
4. श्री मेहमत अली डोगुस्लू, संसद सदस्य
5. श्री इरोल गंगोर, संसद सदस्य
6. श्री वेदात अल्तून, संसद सदस्य
7. श्री ओसमान डोगान, ससद सदस्य

शिष्टमंडल 18 फरवरी, 1991 की सुबह दिल्ली पहुँचा था। शिष्टमंडल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम यह कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद

और लाभदायक हो। उनके माध्यम से हम तुर्की के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, ग्रैंड नेशनल असेम्बली, तुर्की की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

12.52 म. प.

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव : मैं 21 फरवरी, 1991 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नये अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपके सामने बजट और विधान कार्य हैं, उनको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

2. आप अत्यन्त कठिन एवं चुनौतीपूर्ण समय में मिल रहे हैं। देश की एकता और अखण्डता को गंभीर खतरा है। साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्व राष्ट्र के लिए संकट बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत कठिन है। खाड़ी संकट से मुद्रास्फीति बढ़ी है, भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति है, जो गम्भीर चिन्ता का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे में गहन परिवर्तन हुआ है और जो नक्शा बन रहा है वह हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा। जिस स्थिति में हम आज हैं वह पहले की तुलना में कहीं अधिक यह मांग करती है कि देश को वर्तमान संकट से उबारने के लिए भारत के लोग एकजुट हो जाएं और इसे समृद्धि एवं प्रगति के पथ पर लाएं। हमें आंतरिक कलह और छोटे मोटे झगड़ों और उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो संकीर्ण हैं, स्वार्थपूर्ण हैं और फूट डालने वाली हैं तथा राष्ट्र के हित में एकजुट हो जाना चाहिए। कठिनाइयों के इस दौर में हमें आधारभूत सिद्धांतों-लोक तंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद-जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ हैं, के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी।

3. पिछले वर्ष देश की कानून और व्यवस्था की समग्र स्थिति में गिरावट आई। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हिंसा जारी है। असम में उल्फा की गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्ष के उत्तरार्ध में साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ गई और जातिगत हिंसा भी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश और बिहार उग्रवादी हिंसा से प्रभावित रहे।

4. पंजाब की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। सरकार उन सब लोगों के दुख और गम में शरीक है जो आतंकवादियों की निरर्थक हिंसा के शिकार हुए हैं। सरकार आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने और शांति की स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। खोजबीन करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। सीमा पार से घुस-पैठ और हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार की राय है कि पंजाब समस्या का राजनैतिक हल निकालने

की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने कई पहल की हैं। राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा सरकार का उग्रवादियों के साथ भी बातचीत करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक क्रियाकलापों में लगाया जा सके।

5. जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और कुछ कट्टरपंथी तत्व सीमा-पार से सहायता और प्रोत्साहन पा कर कुछ समय से आतंकवाद और तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार का मानना है कि यदि उग्रवादियों को बाहरी सहायता न मिले तो जम्मू और कश्मीर में तोड़-फोड़ की गतिविधियों में काफी हद तक कमी आयेगी। सरकार को आशा है कि अपने पड़ोसी देश के साथ बातचीत से स्थिति में परिवर्तन होगा और इससे राज्य में सामान्य जीवन बहाल होगा।

6. इस वर्ष असम में अलगाववादी गतिविधियों में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिसमें विधान सभा के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जा सकते थे और राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती थी। इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और राज्य की विधान सभा को स्थगित कर दिया गया। अलगाववादियों से निपटने के लिए असम राज्य को "अशान्त क्षेत्र" और उल्फा को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया। सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है जिन्हें वहां सफलता मिल रही। जैसे ही परिस्थितियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अनुकूल होंगी वहां चुनाव कराए जाएंगे।

7. सरकार भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पंजाब, कश्मीर तथा असम की समस्याओं का स्वीकार्य हल निकालने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहती है।

8. श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रांत में बिगड़ती हुई स्थिति के कारण मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए हैं। शरणार्थियों के अतिरिक्त, "लिट्टे" के अनेक लड़ाकू संगठन तमिलनाडु में स्थलों का उपयोग अपने कार्यकलापों के लिए कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त किए जाने के बावजूद, तमिलनाडु में स्थिति बिगड़ती गई आमतौर पर यह समझा गया कि "लिट्टे" के सदस्य अपनी गतिविधियां बेझिझक जारी रख सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में "लिट्टे" संगठन के सदस्य विरोधी तमिल गुट के 15 व्यक्तियों की हत्या कर फरार होने में सफल हो गए। संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी और केन्द्र के सहायता प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। लिट्टे की कई गैर कानूनी हरकतों की सूचना मिलने तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में असफल होने के कारण तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवा सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया गया था। परन्तु सरकार राज्य में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बहाल करने के लिए इच्छुक है।

9. हमारे देश का सम्प्रदायिक सामंजस्य मुख्यतः रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बिगड़ा है। सरकार ने धार्मिक नेताओं और दूसरे लोगों से विचार-विमर्श के माध्यम से इस मसले का समाधान करने के लिए नई पहल की है ताकि कोई परस्पर स्वीकार्य हल निकल सके। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और सारे देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाया जाए।

10. पिछले वर्ष मार्च में मैंने आपके समक्ष अपने अभिभाषण में, राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सहमति प्राप्त करने तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वयन हेतु एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन करने की सरकार की इच्छा के बारे में जिक्र किया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस परिषद् का गठन हो चुका है और अक्तूबर, 1990 में इसकी पहली बैठक हुई है।

11. देश में आर्थिक स्थिति गंभीर चिन्ता का विषय है। बजट घाटे, तेल संकट, भुगतान शेष की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति की पेचीदा स्थिति ने लोगों, विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। सरकार ने इन बुराइयों का सामना करने के लिए एक बहुमुखी रणनीति आरम्भ की है जिसमें अन्य बातों के साथा-साथ सरकारी खर्च और मुद्रा आपूर्ति में भारी कटौती करना, अल्पावधि उपायों के रूप में आवश्यक वस्तुओं की मांग और पूर्ति का उन्नत प्रबन्ध करना और दीर्घावधि उपाय में उत्पादन में वृद्धि करना शामिल हैं। वित्तीय असन्तुलन ने इससे पहले लगातार मुद्रास्फीति में वृद्धि को बनाए रखा है। इन्हें रातों-रात या केवल एक कदम उठाकर ठीक नहीं किया जा सकता। स्थिति से निपटने के लिए कठोर विकल्पों और बड़े उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने वर्ष 1991 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने व्यय में और कटौती करने के लिए दिसम्बर, 1990 में एकमुश्त उपायों की घोषणा की थी इस भयावह स्थिति का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास की तुरंत आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि विकास कार्य के लिए संसाधनों और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की स्थापना की जाए।

12. खाड़ी संकट के कारण भुगतान शेष की स्थिति भी और अधिक खराब हो गई है और इसके परिणामस्वरूप 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ पड़ने की आशंका है। यह संतोष की बात है कि खाड़ी संकट से उत्पन्न किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की हमारी अग्रिम योजना हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए समय रहते यह कार्रवाई की कि हमारे पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार संतोषजनक स्तर पर बने रहें। अल्प अवधि में भुगतान शेष के दबाव को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निर्यात संवर्धन, आयात पर नियंत्रण और विदेशी पूंजी का अधिक से अधिक अन्तः प्रवाह शामिल हैं।

13. इस वर्ष विदेश व्यापार की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-नवम्बर, 1990 की अवधि में निर्यात वृद्धि दर, डालरों में केवल 12.9 प्रतिशत रही है, जबकि आयात में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियां भी सामने आई हैं और कुछ उत्पादों के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है। इंजीनियरी सामान, सूती कपड़ा तथा सिले-सिलाई वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से बने सामान तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की स्थिति उत्साहवर्धक रही है। सरकार निर्यात के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को उच्च प्राथमिकता देगी। इस सम्बन्ध में विशेष कर बड़े औद्योगिक घरानों से निर्यात क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी। भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर लगातार ध्यान दिया जाएगा। जब कभी समग्र रूप से कार्यकुशलता में सुधार लाए जाने की आवश्यकता होगी तो औद्योगिक क्षेत्र का

पुनर्गठन करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने 1991-92 के लिए तैयार की गई निर्यात नीति में इन बातों को सम्मिलित किया है।

14. इस गंभीर आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हम आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के कार्य में लगे हैं। हालांकि स्थिति विकट है किन्तु हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम हैं। हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति हमारी जनशक्ति है और हम अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धता ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। देश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अच्छी वर्षा हुई है। रबी की फसल भी अच्छी होने की आशा है। चालू वर्ष के खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 175.5 मिलियन टन होने की संभावना है। हमारा खाद्यान्नों का भण्डार संतोषजनक स्थिति में है।

15. योजना दस्तावेज को मार्च 1991 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जनता में बड़े पैमाने पर व्याप्त गरीबी को हटाने, उत्पादक रोजगार के अवसरों के विस्तार और अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। संसाधनों की कमी को देखते हुए हमें प्राथमिकताओं के चयन में अधिक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक बुनियादी ढांचे विशेषकर ऊर्जा, चालू परियोजनाओं को पूरा करने, सिंचाई, घरेलू स्तर पर खाद्य सामग्री सम्बन्धी सुरक्षा, स्वच्छ पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा और दलितों तथा आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पर्यावरण की रक्षा करना और भूमि तथा जल संसाधनों में आई गिरावट को रोकना, कृषि सम्बन्धी उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करना, कृषि अनुसंधान कार्य की ओर अधिक सुव्यवस्थित ध्यान देना, कृषि ऋण प्रणाली को मजबूती प्रदान करना, और अधिक उत्पादकता तथा कुशल प्रबन्ध के माध्यम से पहले से किए गए निवेशों से और अधिक प्रतिफल प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना एवं विकास सम्बन्धी प्रशासन को सुमुचित रूप से विकेन्द्रीकृत करना आदि शामिल होगा। सरकार कृषि विकास को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। कृषि नीति संकल्प को संसद के समक्ष इसी सत्र में रखे जाने की आशा है।

16. कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठोस जल प्रबन्ध आवश्यक हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे छिड़काव, सिंचाई इत्यादि द्वारा उपलब्ध आपूर्ति का बेहतर उपयोग करने और लघु सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देते हुए जल संसाधनों में वृद्धि करने के प्रयास किए जायेंगे।

17. वर्ष 1990-91 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई आर डी पी) में विविधता लाने तथा उसे एक नई दिशा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सभी जिलों में आई आर डी पी के अन्तर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने वाले सामूहिक प्रयत्नों को बढ़ावा देना तथा तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को तथा महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों

के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम) के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की संख्या दुगनी कर दी जाए। जवाहर रोजगार योजना को जारी रखा गया है।

18. सरकार औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। औद्योगिक विकास को, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 8वीं योजना के दौरान देश भर में नई विकास केन्द्र योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। सरकार विशेष रूप से खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण पर भी बल देगी। लघु क्षेत्र के उद्योग, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा देश के निर्यात प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, के विकास के संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। औद्योगिक नीति पर एक विवरण इस सत्र में संसद के समक्ष रखा जाएगा।

19. सरकार इलैक्ट्रानिक उद्योग की, विशेष रूप से निर्यात के क्षेत्र में, अत्यधिक विकास की सम्भाव्यताओं से अवगत है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि इस सम्भाव्यता को प्राप्त किया जा सके। सरकार का यह प्रयास होगा कि वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास किया जाए।

20. सरकार आधारिक संरचना क्षेत्र पर पूरा ध्यान देगी। कोयला संसाधनों का विकास किया जाएगा और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। खनिज विकास के क्षेत्र में उत्पादन-प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जाएगा। इस्पात के मामले में आधुनिकीकरण और क्षमता के विस्तार के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य होगा। सरकार कच्चे तेल को बचाने के उपायों को प्रोत्साहन देते हुए सरकार औद्योगिक और कृषि उत्पादन को संरक्षण देने के प्रति जागरूक है। कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अपारम्परिक और पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास जारी रहेंगे। संचार के क्षेत्र में सरकार दूरसंचार सेवाओं के शीघ्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

21. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। समझौता ज्ञापन पद्धति के माध्यम से कार्यक्षमता में सुधार करने की वर्तमान नीति और उपक्रमों पर भी लागू की जाएगी।

22. हमारे वैज्ञानिकों ने देश के विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जून, 1990 में इनसेट-1डी का सफलतापूर्वक छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनसेट-2 उपग्रह का विकास और उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी आई आर एस शृंखला का डिजाइन विकास संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। जीव प्रौद्योगिकी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, में प्रतिरक्षा विभान, प्रोटीन इंजीनियरी और मानव आनुवंशिकी जैसे उच्चस्थ क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। लोगों के ठोस लाभों के लिए वैज्ञानिक विकास का उपयोग करना हमारी विज्ञान नीति का लक्ष्य होगा।

23. हमारा विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे। ऐसा विकास जो पर्यावरण का विनाश करता है, जीवन के मूलाधार को ही नष्ट करता है, आत्मघाती है। पर्यावरण की रक्षा के महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। एक दस वर्षीय राष्ट्रीय वनप्रान्त कार्य योजना

तैयार की गई है जिसमें लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया है। विकास आयोजना हेतु एकीकृत ढांचा बनाने के लिए एक सरक्षण नीति तैयार की जा रही है। प्रदूषण पर रोक और उसमें कमी लाने सम्बन्धी नीति में तकनीकी निवेशों और कचरे की रोकथाम के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान की जाएगी और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को संहिताबद्ध किया जाएगा ताकि जो लोग पर्यावरण को हानि से पीड़ित होते हैं उन्हें राहत देने मे सहायता मिल सके।

24. सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सार्थक सहायता प्रदान करना है। बदनसीब पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

25. हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। उनके शौर्य, व्यावसायिक दक्षता और कर्तव्यपरायणता के कारण भारत का नाम ऊंचा रहा है। उन्होने मातृभूमि के लिए जो बलिदान किए हैं, राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है और वे किसी भी बाहरी खतरे का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार हैं। सरकार, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कार्मिकों की कल्याण योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देती रहेगी। हमारी सशस्त्र सेनाओं की खास जरूरतों को पूरा करने में हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में जो महत्वपूर्ण सफलाएं प्राप्त की हैं उसके लिए हमें उन पर गर्व है। इन्टीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। पिछले वर्ष जमीन से जमीन पर मार करने वाली 'पृथ्वी' मिसाइल तथा रिएन्ट्री टेक्नालाजी डिमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट 'अग्नि' का सफल परीक्षण करके अब हम इस साल मध्यम दूरी की, जमीन से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' का परीक्षण करने तथा तीसरी पीढ़ी की टैंकरोधी मिसाइल 'नाग' का परीक्षण करने में सफल हुए हैं।

26. देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के हमारे प्रयास और आर्थिक विकास करने की हमारी कोशिशें अन्ततोगत्वा केवल लोगों की पूर्ण भागीदारी से ही सफल हो सकती हैं। हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की सहभागिता के लिए आधार प्रदान करती है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध है जो लोकतंत्र को अधिक गतिशील और वास्तविक बनाएगी।

27. औद्योगिक तथा कृषि दोनों में हमारा श्रमिक बल हमारी जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उनके कठिन परिश्रम पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। सभी सामाजिक हलचलों के बीच देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर रहे हैं। यह हमारी वर्षों से अर्जित औद्योगिक व्यवस्था की पूर्णता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको उनका पूरा मेहनताना मिले। विशेष श्रेणियों के असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कानून लागू करने के सम्बन्ध मे विशेष ध्यान दिया जाएगा।

28. राष्ट्र के युवाओं के पूर्ण सहयोग के बिना लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हमें अपने युवाओं के विकास तथा प्रगति के लिए उनको हर संभव

अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि वे अपनी उन्नति, समाज की उन्नति तथा देश की उन्नति के लिए अपने कौशल का उपयोग कर सकें। सरकार युवाओं के लिये शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये विशेष ध्यान देगी। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि राष्ट्रीय अखण्डता का संजोग रखने तथा देश की एकता को सुदृढ़ करने मे युवा सक्रिय रूप से शामिल हों। हाल में राष्ट्रीय युवा परिषद की एक बैठक हुई। युवकों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाते समय इस बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान मे रखा जाएगा।

29. यह चिन्ता की बात है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव बरता जा रहा है और कई प्रकार से उनका अनादर हो रहा है। सरकार महिलाओं का संरक्षण करने तथा उनको उनके अधिकार दिलाने के लिये निर्णायक कारंवाई करेगी। सरकार पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा की सुलभता के सम्बन्ध में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अधिकारों तथा बच्चों के अधिकारों पर आवलम्ब ध्यान देगी। वर्ष 1990 जो दक्षेस बालिका वर्ष मनाने के संदर्भ में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठाये गए हैं।

30. राष्ट्र डा. बी. आर. अम्बेडकर की स्मृति संजोये हैं। 12 अप्रैल, 1990 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उनके चित्र का अनावरण किया गया। 14 अप्रैल, 1990 को डा. अम्बेडकर को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। सरकार कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और उनके हितों की रक्षा करने तथा उन्हें उत्पादक रोजगार प्रदान करने में सहायता करने के लिये वचनबद्ध है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने, उनमें शिक्षा का प्रसार करने और उनकी सामाजिक असमर्थताएं दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना और जनजाति उप योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए जायेंगे। अनुसूचित जनजातियों में से अभाव-ग्रस्त और अति दयनीय जातियों जैसे मूल जनजातियों और समूहों, जगह बदलने वाले खेतिहारों और बंधुआ मजदूरों की ओर सरकार का विशेष ध्यान जारी रहेगा। जनजाति बहुत क्षेत्रों का विकास करना सरकार के लिए विशेष महत्व का मामला है। सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि इन क्षेत्रों मे विकास की गति को बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाए।

31. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक अहम भूमिका निभायी है विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कमी की स्थिति में। इसको और अधिक प्रभावी बनाना अपेक्षित है। सरकार यह मानती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमारी रणनीति का एक मुख्य घटक बने। सरकार इस बात पर जोर देगी कि गरीबों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सकारात्मक ढंग से कार्य कर सके। सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये सतर्क है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए सभी कदम उठाये जाएंगे।

32. सरकार की कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य देख-भाल का क्षेत्र विस्तृत किया जाये और इसकी गुणवत्ता मे सुधार हो। चिकित्सा की देशी प्रणाली को विकसित करने और समाज के कमजोर तबकों को प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल सेवाएं प्रदान करवाने पर अधिक बल दिया जाएगा। बच्चों और माताओं के लिये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों का एक

प्रमुख अंग रहेगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर को कम करने के लिए अधिक जोर दिया जाएगा ताकि हमारे विकास प्रयत्नों के लाभ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीमित न रह जाएं।

33. लोकतंत्र का मूलमंत्र है शिक्षा और साक्षरता। लोगों में फैली निरक्षरता और शिक्षा का निम्न स्तर कमजोर वर्गों के उत्थान और एक अधिक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिये किए किये जाने वाले कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में मुख्य रूप से बाधक हैं। निरक्षरता दूर करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार निरक्षरता उन्मूलन के लिये एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी और इसके लिये विश्वविद्यालयों, स्कूलों और स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगी। सरकार प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

34. सरकार ऐसी सुविधाएं पैदा करने को अत्यन्त महत्व देती है जिनसे लोगों को उपयुक्त आवास प्राप्त करने में सहायता मिल सके। एक राष्ट्रीय आवास नीति बनायी जा रही है। यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वासभूमि अधिकार देकर मकान बनाने के लिये भूमि के आवंटन को तेज किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण सहायता को भी बढ़ाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रात्रि शरणगृहों के निर्माण के कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

35. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं। शीत युद्ध में कमी आई है और इसके बदले उन राष्ट्रों के बीच अधिक समझबूझ और सहयोग की भावना बढ़ी है जो विरोधी खेमों में बंटे थे, इससे हमारी विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां आई हैं और उसको नए अवसर मिले हैं। हमारा दृष्टिकोण गुटनिरपेक्ष सिद्धान्तों तथा शान्ति, निरस्त्रीकरण तथा अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था के लिए हमारी वचनबद्धता पर अडिग रहेगा। जनवरी, 1991 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों को बनाए रखने के लिये प्रयत्न करते रहेंगे।

36. सरकार विश्व की प्रवृत्तियों के अनुरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की बात को उच्च प्राथमिकता देती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व का सबसे निर्धन क्षेत्र है। विकास तथा हमारी जनता के बेहतर रहन-सहन के लिए हमारे क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता होना अनिवार्य है।

37. माले में लगभग दो वर्षों के अन्तराल के बाद आयोजित वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को नई प्रेरणा प्रदान की गई है। हमारी पहल पर शिखर सम्मेलन ने कुछ नए प्रस्तावों पर विचार करने तथा कुछ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की है। हमें विश्वास है कि राजनैतिक संकल्प को ध्यान में रखते हुए दक्षेस हमारी जनता के प्रत्यक्ष लाभ के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए अग्रसर हो सकता है।

38. हम अनसुलझे मामलों को बातचीत के माध्यम से हल करने तथा अपने द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए बंगलादेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं।

39. भूटान और मालदीव के साथ हमारे घनिष्ट संबंध कायम रहे है और उच्चस्तरीय बातों के जरिए मजबूत हुए हैं।

40. हमने नेपाल में बहु-दलीय लोकतंत्र अपनाए जाने का स्वागत किया है। नेपाल के साथ हमारे परम्परागत निकटवर्ती द्विपक्षीय संबंध पुनः स्थापित हुए है। हमारे प्रधानमंत्री की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा नेपाल की हुई, यह इस बात का द्योतक है कि उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध कितने महत्वपूर्ण हैं। हम कई क्षेत्रों में, जिनमें दोनों देशों मे बहने वाली नदियों के पानी का उपयोग करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबन्ध शामिल हैं, नेपाल के साथ अपना सहयोग बढ़ाने को उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

41. पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को और अलगाववादी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ तनाव खत्म करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं और हम द्विपक्षीय मामलों के व्यापक क्षेत्र पर विचार-विमर्श दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हमने पाकिस्तान सरकार पर शिमला समझौते का पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दोनों देशों और इन देशों के लोगों के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

42. श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रान्त में युद्ध के कारण भारी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी भारत में आ गए हैं। हमने अपनी चिंता से उनको अवगत करा दिया है और समस्या का शान्तिपूर्ण राजनैतिक समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया है जो श्रीलंका की एकता और अखंडता के ढांचे के अन्तर्गत श्रीलंकाई तमिलों की उचित आकांक्षाओं को पूरी करता हो।

43. अफगानिस्तान के साथ हमारी परम्परागत मंत्री राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की अगस्त, 1990 में नई दिल्ली यात्रा से और अधिक मजबूत हुई है। हमें आशा है कि अफगानिस्तान में रक्तपात और हिंसा बंद होगी। समय की मांग है कि अफगानी लोगों द्वारा स्वयं राजनैतिक समाधान निकाला जाए जिससे अफगानिस्तान को एक संप्रभुता सम्पन्न, स्वतंत्र और गुट-निरपेक्ष देश का दर्जा सुनिश्चित हो सके।

44. हमने चीन के साथ बेहतर सूझ-बूझ प्रदान करने वाली प्रक्रिया को जारी रखा है। हमारा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा है और हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर एक दूसरे के साथ और अधिक निकटता से परामर्श करना भी आरम्भ किया है। सीमा के प्रश्न का उचित, तर्कसंगत और एक दूसरे को स्वीकार्य हल निकालने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुई संयुक्त कार्य दल में बातचीत है। हमें विश्वास है कि भारत और चीन के बीच और अधिक निकट सहयोग, एशिया और विश्व में शांति और स्थिरता के हित में होगा।

45. सोवियत संघ के साथ हमारे विशेष सम्बन्ध हैं और हमारे द्विपक्षीय सहयोग का क्षेत्र काफी व्यापक है। हमारी इच्छा है कि सोवियत सरकार और वहां के लोगों को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के उनके प्रयासों में सफलता हासिल हो। सोवियत संघ ने जरूरत के समय में भारत का साथ दिया है और हम उनकी गर्मजोशी और दोस्ती का जवाब हर समय समझदारी और सहयोग से देंगे।

46. संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में स्थायी सुधार हुए हैं। अब एक दूसरे की चिन्ताओं और हितों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उच्च तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम आशा करते हैं कि आपसी हितों के क्षेत्र में हमारा सहयोग और आगे बढ़ेगा।

47. जापान, हमारे एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया है। एक एशियाई देश के रूप में, हम उसके द्वारा की गई प्रगति की सराहना करते हैं और द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की आशा करते हैं। भारत और जापान के बीच निकटतर साझेदारी, शांति और प्रगति की दिशा में एक रचनात्मक कदम होगा।

48. हमने जर्मनी के एकीकरण का स्वागत किया है जो अत्यन्त ऐतिहासिक महत्व की घटना है। हम जर्मनी के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा और एकीकृत जर्मनी के साथ अपने निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमने अपने मैत्रीपूर्ण संबंध तथा सहयोग बनाए रखे हैं और उन्हें सुदृढ़ किया है।

49. हम गम्भीर रूप से चिंतित हैं कि हमारे एवं अन्य सभी प्रयासों के बावजूद खाड़ी में युद्ध छिड़ गया है और खाड़ी घटनाओं ने दुःखद मोड़ ले लिया है। इस युद्ध से अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा और विश्व की आर्थिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव पड़ेंगे। विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। हम आशा करते हैं कि युद्ध का अन्त होगा। हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके, तुरन्त युद्धविराम और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप इराक द्वारा कुवैत से अपनी सेनाएं हटाने की घोषणा किए जाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। हमारी पहल पर गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के एक ग्रुप की बैठक बेलग्रेड में आयोजित की गई। हम, युद्ध समाप्त करवाने और समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने हेतु आम सहमति के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य राष्ट्रों के साथ भी सम्पर्क बनाए हुए हैं।

50. फिलिस्तीनी लोगों का अपने देश की मांग करने का जो अभिन्न अधिकार है उनकी उस न्यायोचित लड़ाई में हम उनको पूरा समर्थन देते हैं। फिलिस्तीन के प्रश्न का न्यायोचित हल निकले बिना पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थायित्व नहीं आ सकता। इस समस्या को बहुत दिनों तक खींचा गया है और अब इसे पूरी गम्भीरता के साथ जल्द से जल्द हल कर लिया जाना चाहिए। हम शांति और स्थायी हल निकालने के लिए तत्काल एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए अपना दबाव बनाए रखेंगे, जिसमें सभी सम्बन्धित देश भाग लें।

51. हम कंबोडिया में दुःखद संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकालने के प्रयासों का समर्थन करते हैं और इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिये तैयार हैं। ऐसे हल में कम्बोडिया की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्ष प्रतिष्ठा सुनिश्चित होनी चाहिए।

52. दक्षिण अफ्रीका में गम्भीर परिवर्तन हो रहे हैं। अन्तिम अफ्रीकी उपनिवेश, नामीबिया को 21 मार्च, 1990 को स्वतंत्रता मिली। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी अनेक पहल की गई हैं जिनसे रंगभेद समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता निकल सके। अक्तूबर, 1990 में डा. नेल्सन

मंडेला की भारत-यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी जब सारे देश ने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में उनका स्वागत किया।

53. हम फिजी और अन्य स्थानों में जातिगत आधार पर विभेदीकरण को संस्थागत बनाने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं।

54. माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आप अनेक विधायी उपायों तथा वित्तीय कार्य पर विचार करेंगे।

55. अब आपको आह्वान करता हूं कि आप अपने श्रमसाध्य कार्यों में जुट जाएं। संकट की इस घड़ी में भारत की जनता का ध्यान आपकी दूरदर्शिता और विवेक की ओर लगा है। हमने पहले भी उद्देश्य-बोध, अद्भुत शक्ति और चुनौती के समय एकजुट होने की क्षमता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि ये गुण एक मजबूत संगठित और समुन्नत भारत के निर्माण में सहायक होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2120/91]

12.52 ½ म. प.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज जब हम एक महीने से भी अधिक के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं तो मुझे सदन को वर्तमान लोक सभा के सदस्य श्री ई एस एम पाकीर मोहम्मद के दुखद निधन की सूचना देनी है। हम आज अपने चार भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री रामशंकर लाल एम आर लक्ष्मीनारायणन्, सी आर बासप्पा और जगन्नाथ राव के दुखद निधन पर भी शोक व्यक्त करते हैं।

श्री ई. एस. एम पाकीर मोहम्मद नवम्बर, 1949 में हुए पिछले आम चुनावों में तमिलनाडु के मलीयादुतुराई निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इससे पहले 1984-89 के दौरान उन्होंने तमिलनाडु में मयूरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले 1980-84 के दौरान वह तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री पाकीर मोहम्मद एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और उन्होंने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने समाज के दलित लोगों के उत्थान के लिए भी काफी कार्य किया।

श्री पाकीर मोहम्मद की शिक्षा और खेलों के विकास में गहरी रूचि थी और वह अनेक शैक्षिक तथा खेल संस्थानों में कई पदों पर आसीन रहे। वह भारत सरकार की मक्का और मदीना हज सद्भावना मिशन के सदस्य थे।

वह एक योग्य सांसद थे। सभा की कार्यवाही उनके भाग लेने से काफी समृद्ध हुई। वह भूतल परिवहन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री पाकीर मोहम्मद का 28 जनवरी, 1991 को 54 वर्ष की आयु में थंजावुर में निधन हो गया।

श्री राम शंकर लाल 1952-92 के दौरान पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे जिनमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रमशः बस्ती तथा डुमरियागंज निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 1946-51 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री लाल ने राज्य विधान मंडल में गठित संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य के रूप में राज्य से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

श्री लाल एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वह 1930 में ही स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्होंने 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन में सक्रिय भाग लिया स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।

वह व्यवसाय से वकील थे किन्तु पत्रकारिता में भी उनकी समान रुचि थी और उन्होंने हिन्दी में पंचमुख नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।

श्री लाल का 3 जनवरी, 1991 को 89 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन से हो गया।

श्री एम आर लक्ष्मीनारायणन् 1971-89 के दौरान तमिलनाडु में टिन्डीवनम निर्वाचन क्षेत्र पांचवी तथा छठी लोक सभा के सदस्य थे।

वह पेशे से कृषक थे तथा किसानों के कल्याण के लिए कार्यरत अनेक मंचों से सम्बद्ध रहे तथा तमिलनाडु में किसानों के हित के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

श्री लक्ष्मीनारायणन् ने 1953-5 के दौरान भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र (पांडिचेरी) के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होने समाज के निर्धन पददलित तथा पिछड़े वर्गो के उत्थान मे शहरी रुचि ली तथा छूआछूत की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए निरन्त संघर्ष किया।

वह एक योग्य सांसद थे और उन्होने अनेक सामाजिक समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया तथा सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों सम्बन्धी समिति में भी रहे।

श्री लक्ष्मीनारायणन् ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की तथा विभिन्न खेलों के विकास में शहरी रुचि ली।

श्री लक्ष्मीनारायणन का 65 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 1991 को तमिलनाडु के मदुरा-पक्कम गांव में निधन हो गया।

श्री सी. आर. बारुप्पा 1952-67 के दौरान तत्कालीन मैसूर राज्य से पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1948-52 के दौरान वह मैसूर संविधान सभा तथा विधान सभा के भी सदस्य रहे।

वह पेशे से वकील थे और 1944-45 के दौरान बार ऐसोशिएशन चित्तालदुर्ग के सचिव थे।

श्री बारुप्पा एक सक्रिय तथा योग्य सांसद थे और उन्होंने समाज के श्रमजीवी तथा कमजोर वर्गों के लिए बहुत काम किया। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने और प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन तथा खेलों के विकास में गहरी रुचि ली। वह अनेक सामाजिक और राजनैतिक संगठनों से भी जुड़े थे।

श्री बारुप्पा एक सक्रिय मजदूर नेता थे और उन्होंने श्रमिक आन्दोलन में गहरी रुचि ली।

श्री बारुप्पा का 29 जनवरी, 1991 को 78 वर्ष की आयु में तुमकुर जिले में निधन हो गया।

श्री जगन्नाथ राव ने उड़ीसा के कोरापुट निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर अपना लम्बा तथा शानदार संसदीय जीवन आरम्भ किया। उन्होंने तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं लोकसभा में राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधि किया। इस प्रकार श्री राव लगभग तीन दशक से भी अधिक समय तक संसद सदस्य रहे।

श्री राव एक योग्य प्रशासक और सक्रिय सांसद थे और उन्होंने 1962-71 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में अनेक विभागों का कार्यभार संभाला तथा सदन की सभापति तालिका के भी सदस्य थे तथा उन्होंने सदन की कार्यवाही का बड़ी निपुणता और योग्यता से संचालन किया। इसके अलावा श्री राव, सदस्य तथा सभापति की हैसियत से अनेक प्रवर/संयुक्त चयन समितियों में रहे।

वह पेशे से वकील थे तथा 1946-49 के दौरान वह सरकारी वकील थे और कई वर्षों तक जयपोर के नगरपालिका आयुक्त भी रहे।

श्री राव एक निष्ठावान सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत सेवक समाज तथा जिला रेडक्रास सोसायटी सहित अनेक सामाजिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए भी बहुत कार्य किया।

श्री राव ने अनेक देशों की यात्रा की और 1958 में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में सोवियत रूस की यात्रा की। 1959 में उन्होंने भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के चौदहवें सत्र में भाग लिया। 1964 में उन्होंने दण्ड विधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के शिष्टमंडल का हम में नेतृत्व किया। वह 1975 में आरसा के लिए संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

श्री राव ने निष्ठा के साथ लम्बे समय तक देश की सेवा की और उनकी सेवायें अविस्मरणीय रहेंगी।

श्री राव का 21 वर्ष की आयु में 30 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि सभा इनके संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा मृत दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे :

12.57 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध कांत सहाय।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मेरा दिल्ली प्रशासन अधिनियम के बारे में एक प्वाइंट आफ आर्डर है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप जानते है···

(व्यवधान)

मैं आपको बाद में सुनूंगा।

तमिलनाडु राज्य तथा गोवा राज्य आदि के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 31.1.1991 और 25.1.1991 को जारी की गई उद्घोषणाएं तथा आदेश

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को जारी की गई उदघोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 366(3) के अन्तर्गत 30 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी.-2121/91]

(दो) उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1991 को दिये गये आदेश, जो 30 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 2122/91]

(3) गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1991 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की उद्घोषणा को रद्द किया गया और जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत 25 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2123/91]

(3) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना सख्या का.आ. 18(अ), जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन को 13 जनवरी, 1991 से और 4 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के बारे में 12 जनवरी, 1991 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2124/90]

(4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये गये भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कांस्टेबल (लाइनमैन) भर्ती नियम, 1990 जो 17 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 692 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 2125/91]

12·59 म.प.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 22 फरवरी 1991/3 फाल्गुन 1912 (शक) के ग्यारह बजे प्र. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-6